20-08-2026

1- आवेदक सहित श्री मोहित नेगोत्री अधिवक्ता उपस्थित।

2- राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. श्री मोहित पाटीदार उपस्थित।

3- प्रकरण प्रतिवेदन प्रस्तुति/आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

4- थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास से प्रतिवेदन मय दस्तावेज प्राप्त।

5- प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 503 भा.ना.सु.सं. पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण किए जाकर केस डायरी का अवलोकन किया गया।

6- आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन यह है कि, आवेदक के साथ राशि कुल 95,000/– रूपये का फ्राड हुआ था, जिसकी शिकायत एन.सी.आर.पी. पोर्टल तथा थाने पर शिकायत करने पर कुल 45,646/– रूपये की राशि विभिन्न बैंको में होल्ड कर दी गई थी जिसका एकनलेजमेंट नंबर 32107260033981 है। उक्त होल्ड राशि को प्रार्थी उसकी बैंक ऑफ बडोदा के खाता क्रमांक 88140100001168 जिसका आई.एफ.एस.सी. कोड बी.ए.आर.बी.0वी.जे.डी.ई.डब्ल्यू.ए. में प्राप्त करना चाहता है। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास में प्रार्थी की शिकायत में राशि रूपये 45,646/– को होल्ड कर दिया गया है। जप्तशुदा रूपयों के अभाव में प्रार्थी को काफी समस्याओं का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त जप्तशुदा/होल्डशुदा राशि को योग्य सुपुर्दगीनामे पर दिए जाने का निवेदन किया है।

7- ए.डी.पी.ओ. द्वारा आवेदन का लिखित जवाब नहीं दिया जाकर मौखिक आपत्ति व्यक्त की गई।

8- उभयपक्ष को सुना गया।

9. केस डायरी का अवलोकन किया गया।

10- प्रस्तुत प्रतिवेदन व शिकायत के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक द्वारा थाना औद्योगिक क्षेत्र में ऑनलाईन फ्रॉड के बारे में सूचना दी थी, जिसके संबंध में एन.सी.आर.पी. पोर्टल नंबर 32107260033981 पर शिकायत दिनांक 19.08. 2026 को दर्ज की गयी थी। प्रस्तुत प्रतिवेदन से दर्शित होता है कि प्रथमदृष्टया आवेदक द्वारा ऑनलाईन सायबर फ्राड की शिकायत करने पर उक्त शिकायत को एनसीआरपी पोर्टल में दर्ज किया जाकर Bank of Baroda(Inculding Vijaya Bank and Dena Bank) के खाता क्रमांक 26680100021701 में कुल राशि 45,646/– रूपये की राशि होल्ड की गई है। होल्ड लगाए जाने के उपरांत भी कोई भी खाताधारक द्वारा होल्ड हटाए जाने के संबंध में या राशि उन्हें प्रदान किए जाने के संबंध में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन/आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है।

11- अतः प्रथमदृष्टया आवेदक होल्ड करायी गयी राशि की हकदार दर्शित होती है। अभियुक्त के संबंध में कोई जानकारी अभिलेख पर दर्शित नहीं है ऐसे में अकारण उक्त राशि को होल्ड पर रखा जाना उचित दर्शित नहीं होता है। अतः आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/सुपुर्दगीदार उक्त राशि न्यायालय द्वारा आहूत किए जाने पर प्रस्तुत करने तथा अन्य किसी व्यक्ति का उक्त राशि पर अधिकार प्रमाणित होने पर उक्त व्यक्ति को प्रदान करने की शर्त के अधीन 46,000/–(छियालीस हजार रूपए) रूपये का सुपुर्दगीनामा तथा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि भविष्य में उक्त राशि के संबंध में आपत्ति होने की दशा में समतुल्य राशि न्यायालय में जमा करने हेतु तत्पर रहेगा, तो थाना प्रभारी को उक्त होल्ड राशि आवेदक के बैंक ऑफ बडोदा के खाता क्रमांक 88140100001168 जिसका आई.एफ.एस.सी. कोड बी.ए.आर.बी. 0वी.जे.डी.ई.डब्ल्यू.ए. में वापस अंतरित कराए जाने हेतु कार्यवाही करने के लिए पत्र जारी किया जाए।

12. प्रकरण का परिणाम सी.आय.एस./पंजी में दर्ज कर प्रकरण नियत अवधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

भारत सिंह कनेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला देवास

Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . .of 20 . . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	पुनश्च आदेश के पालन में सुपुर्दगीदार **देवेन्द्र पिता सुरेशचंद्र मालवीय आयु–32 वर्ष निवासी 126 मृदुल विहार देवास म.प्र.** ने प्रकरण में उक्त होल्ड राशि आवेदक के खाते में वापस अंतरित कराए जाने के संबंध में **46,000**/– (छियालीस हजार) रूपये का सुपुर्दगीनामा तथा सशर्त शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जो बाद तस्दीक स्वीकृत किए गए। सुपुर्दगीदार की पहचान श्री मोहित नेगोत्री अधिवक्ता द्वारा की गई। जप्तशुदा/होल्ड राशि को आवेदक के खाते में अंतरित कराए जाने हेतु थाना प्रभारी को पत्र जारी किया जाए। प्रकरण का परिणाम सी.आय.एस./पंजी में दर्ज कर प्रकरण नियत अवधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जावे। (भारत सिंह कनेल) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला देवास	Devey M-ley

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

GCPB—113—DCGCPB—15-7-26—10,00,000.